File No. MCDR-MCFDCGCMNFLOXGC2N232AJNO21B-MJNRQCAJNOputer No. 5926)

I/31136/2024 I/31136/2024

Violation letter/उल्लंघन पत्र (Speed post/ त्रिव डाक)

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्युरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय माखूपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर ई–मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in





Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

दिनांक: 03 /05 /2024

संख्या: 5926:MCDR-MiFL0GEN/12/2023-AJM-IBM_RO_AJM

प्रेषित: मै. सीमा मिनरल्स एंड मेटल्स 203 ए, मेवाड इंडस्ट्रीयल एरिया, रोड नं 11/एफ, मादडी,

जूदयपुर-3130003

ईमेल: (seemamineral@hotmail.com)

विषय : राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित आपकी कपूरिया सिलीसियश अर्थ खान क्षेत्रफल 48.7 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन ।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 29/11/2023 by undersign in presence of Shri Radheyshyam Paliwal, Mining Engineer of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operation has not been carried out in accordance to the Review Mining Plan
	approved on 02/02/2022 to the extent given below for the year 2022-23:
	1. It was proposed to put 15 trenches to convert 4.0 hectares of lease area from G-2 to G-
	1 axis and 16.2 hectares of lease area from G-3 to G-1. But the same has not been
	done.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आर्कषित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंर्तगत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली ,2017 के अंर्तगत :

- (क) आपकी खान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(पंकज कुलश्रेष्ठ) सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

- 1. खान नियंत्रक (उ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- 2. निदेशक , खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर
- 3. खिन अभियंता, खान एवं भिवज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जिला– जैसलमेर।
- 4 रक्षित पत्रावली ।

सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर